समाचार

विभिन्न पेंशन योजनाओं के 7786 हितग्राहियों को इस माह दी जा रही 150 रू. अतिरिक्त सहायता राशि

कोरबा 22 अक्टूबर 2020 –जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा से इस माह प्राप्त राशि के आबंटन के तहत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के 7786 हितग्राहियों जिनमें विधवा, परित्यक्ता महिला, वृद्ध महिला व दिव्यांगजन, विशेष पिछड़ी जनजाति, कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों, बौने बंधु एवं तृतीय लिंग व्यक्ति शामिल है, को 150 रूपये की दर से अतिरिक्त सहायता राशि इस माह प्रदान की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के केवल विधवा, परित्यक्ता व वृद्ध महिलाओं एवं दिव्यांगजन महिला पुरूष दोनों, विशेष पिछड़ी जनजाति के महिला पुरूष दोनों, कुष्ठ पीड़ित महिला पुरूष दोनों एवं बौने बंधु तथा तृतीय लिंग व्यक्तियों को 150 रूपये की दर से यह अतिरिक्त सहायता राशि उनके बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की जा रही है। इसी प्रकार सुखद सहारा पेंशन योजना के केवल विधवा, परित्यक्ता महिलाओं 150 रूपये की दर से राशि उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जा रही है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के विधवा, परित्यक्ता महिलाओं, वृद्ध महिलाओं एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के महिला पुरूष दोनों, कुष्ठ पीड़ित महिला पुरूष दोनों को 150 रूपये की दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के केवल वृद्ध महिलाओं (जो 80 वर्ष से नीचे हों जिनको 350 रू प्रतिमाह प्राप्त होता हो) ऐसी वृद्ध महिलाओं एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के महिला पुरूष दोनों, कुष्ठ पीड़ित महिला पुरूष दोनों को 150 रूपये की दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की विधवा महिलाओं को 150 रूपये की दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है।